



न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर,

श्रीमती घीसी देवी बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या 10 / 2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-------------|
| 22.07.2021 | <p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2020 प्रार्थना पत्र संख्या 07/2020 ब-उनवानी प्रमोद बनाम घीसी देवी व अन्य व अन्य में पीटासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 12.08.2021 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर जयपुर</p> | |
| 29-7-21 | <p>प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीटासीन अधिकारी श्री युगान्तर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीटासीन अधिकारी श्री युगान्तर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p> (अन्तर सिंह नेहरा)</p> | |